# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 819/2024**

सैयद मसकूर अली **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. जितेन्द्र आनन्द, व्याख्याता, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलि. महाविद्यालय, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 22.02.2024
**आदेश की दिनांक** : 20.03.2024
**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री बुद्धीप्रकाश मीणा, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक
**प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से** : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय महिला पॉलि. महाविद्यालय, सांगानेर जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय पॉलि. महाविद्यालय, बांसवाड़ा में किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलि. महाविद्यालय, जयपुर से अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय शर्मा बनाम राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के परिवार में पांच सदस्य है, जिनमें उनकी माता 100 वर्ष की है, जो उक्त रक्त चाप एवं शुगर की बीमारी से पीड़ित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय खेतान पॉलि. महाविद्यालय, जयपुर से राजकीय महिला पॉलि. महाविद्यालय, सांगानेर जयपुर पदोन्नति पर पदस्थापित किया गया था। जिसकी अनुपालना में दिनांक 16.09.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा कार्यभार ग्रहण लिया। इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण पांच

माह की अल्पावधि में ही बांसवाडा कर दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरित स्थान 550 किमी दूर है और निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरित स्थान 15 किमी से भी कम है। अपीलार्थी की बेटी की शादी मई 2024 में है। इसलिए अपीलार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड रहा है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–6) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बांसवाड़ा प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर प्रशासनिक कारणों से किया गया। अपीलार्थी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर में कार्यरत से पूर्व राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। अपीलार्थी के संयुक्त निदेशक/प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति होने पर प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2023 द्वारा राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर में पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.09.2023 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्तानुसार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नही किया गया था, अपितु अपीलार्थी का पदोन्नति पर पदस्थापन किया गया था। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2021 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को निदेशालय के आदेश दिनांक 20.10.2023 द्वारा विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बांसवाड़ा किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलि महाविद्यालय, जयपुर से अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को कार्यभार ग्रहण कराया गया है (अनुलग्नक–आर/1) एवं अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है (अनुलग्नक–आर/2)। इससे पूर्व प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2019 (अनुलग्नक–आर/3) द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झुंझुंनू से राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.09.2023 द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है तथा पदोन्नति के बाद

उसे विभाग द्वारा जयपुर से जयपुर समायोजित किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2019 से जयपुर में कार्यरत है और पांच साल पूरे होने के बाद उसे आदेश दिनांक 20.2.2024 द्वारा जयपुर से बांसवाड़ा स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी प्रधानाचार्य का पद संभाल रहा है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–6) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर से राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बांसवाड़ा प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.09.2023 द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है तथा पदोन्नति के बाद उसे विभाग द्वारा जयपुर से जयपुर समायोजित किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2019 से जयपुर में कार्यरत है और पांच साल पूरे होने के बाद उसे आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा जयपुर से बांसवाड़ा स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी स्वयं प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से पूर्व आदेश दिनांक 29.09.2019 (अनुलग्नक–आर/3) द्वारा राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद विरूद्ध पदस्थापित रहा है एवं प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 15.09.2023 द्वारा पदोन्नति पर राजकीय महिला पोलि. महाविद्यालय, सांगानेर में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है एवं वर्ष 2019 से लगातार जयपुर में पदस्थापित है। आलौच्य आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely*

*because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी के आलौच्य आदेश से उत्पन्न होने वाली परेशानी या असुविधा के संबंध में नियोक्ता का उस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**